महत्वपूर्ण

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2024/४०१—०५ दिनांक : 23.01.2024

अनुस्मारक

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक/सचिव/निदेशक,
 समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
 एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः-मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पूर्व पत्रांक एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2024/3528 दिनांक 20.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वॉछित सूचनायें दिनांक 23.01.2024 अपराह 02:00 बजे तक प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु निर्धारित तिथि तक विभागों/महाविद्यालयों द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है।

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि अपने विभाग/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं (बच्चियों) की सूचना निम्न प्रारूप पर दिनांक 24.01.2024 को अपराह 02:00 बजे तक ई-मेल आईडी **draffiliationmjpru@gmail.com** पर आवश्यक रूप से प्रेषित करने का करने का कष्ट करें।

प्रारूप-

क्रम सं	विभाग/महाविद्यालय का नाम	शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक अध्ययरत छात्राओं/बच्चिओं की संख्या	यदि एक से अधिक छात्रायें अध्ययनरत है, तो दूसरी छात्रा/बच्ची से प्राप्त ट्यूशन फीस (रूपये में)	अभियुक्ति

संलग्नकः यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
2. निजी सचिव-कुलपति।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रु.वि./सम्ब./2024/ 3528 दिनांक : 20.01.2024

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक/सचिव/निदेशक,
   समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
   एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः-मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-141/सत्तर-3-2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि "यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जायेगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"।

राज्य विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में उक्त घोषणा को पूर्ण कराने हेतु उसकी प्रतिपूर्ति यदि राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो राज्य सरकार पर कितना व्ययभार आयेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में अपने विभाग/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं (बच्चियों) की सूचना निम्न प्रारूप पर दिनांक 23.01.2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक ई-मेल आईडी draffiliationmjpru@gmail.com पर प्रेषित करने का करने का कष्ट करें।

क्रम सं	विभाग/महाविद्यालय का नाम	शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक अध्ययरत छात्राओं/बच्चिओं की संख्या	यदि एक से अधिक छात्रायें अध्ययनरत है, तो दूसरी छात्रा/बच्ची से प्राप्त ट्यूशन फीस (रूपये में)	अभियुक्ति

संलग्नकः यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
2. निजी सचिव-कुलपति।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

समयबद्ध,

संख्या- 141 /सत्तर-3-2024

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2024

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0-Y.A.N/2021, दिनांक 02.10.2021, जोकि निम्नवत् है:-

"यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में उक्त घोषणा को पूर्ण कराने हेतु उसकी प्रतिपूर्ति यदि राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो राज्य सरकार पर कितना व्ययभार आयेगा, उसकी सूचना से आज ही अपरान्ह 02:00 बजे तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- उल्लेखनीय है कि इस विषय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे बैठक आयोजित की गयी है। कृपया प्रकरण में व्यक्तिगत ध्यान देते हुये सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।